



ज़िलहिज्जा के आरंभिक दस दिन बड़े पुनीत दिन हैं:

क्योंकि इसके अंदर:

- (८ ज़िलहिज्जा) तरवियह का दिन है।
- (९ ज़िलहिज्जा) अरफ़ा का दिन है।
- (१० ज़िलहिज्जा) नह्र अर्थात (कुर्बानी) का दिन है।

क्योंकि अल्लाह तआला ने इन दिनों की शपथ ली है, अतः फ़रमाया: ﴿وَالْفَجْرِ ۝۱﴾ (क़सम है फ़ज्र की [१] तथा दस रातों की [२]), इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: दस रातों से अभिप्राय ज़िलहिज्जा की दस रातें हैं। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। तथा यही अधिकांश मुफ़स्सिरों का मत है।

क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “इन दस दिनों में अल्लाह तआला को सद्कर्म व नेक अमल जितना अधिक प्रिय है उसकी तुलना में उतना किसी अन्य दिनों में नहीं है”। इसे कुछ सुनन वालों ने रिवायत किया है।

अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि: (सलफ़ अर्थात पुनीत पूर्वज तीन दहाईयों का बड़ा सम्मान करते थे: रमज़ान की अंतिम दहाई, ज़िलहिज्जा की आरंभिक दहाई तथा मुहर्रम की आरंभिक दहाई)। इसे क़व्वामुस्सन्ह असबहानी ने “अल-तरगीब व अल-तरहीब” में रिवायत किया है।

अल्लामा इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं: (विद्यार्थियों को चाहिए कि लोगों को इन दस दिनों की प्रधानता के विषय में जागरूक करें, क्योंकि लोग इससे अनभिज्ञ हैं तथा इसकी फ़ज़ीलत व प्रधानता से अज्ञान हैं)।

ज़िलहिज्जा की आरंभिक दहाई में सामान्यतः अधिकाधिक सद्कर्म करना चाहिए, तथा विशेष रूप से निम्न कार्यों को अंजाम देना चाहिए:

[१] ईद का दिन छोड़ कर अन्य दिनों में रोज़ा रखना:

“रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़िलहिज्जा के आरंभिक नौ दिन, दसवीं मुहर्रम एवं प्रत्येक महीना में तीन दिन अर्थात: महीना का पहला सोमवार एवं गुरुवार का रोज़ा रखते थे”। इसे अबू दावूद ने रिवायत किया है। तथा अन्य दिनों की तुलना में विशेष रूप से अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखना चाहिये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अरफ़ा के दिन के रोज़ा के बारे में मेरा गुमान है कि अल्लाह तआला इसके द्वारा अगले एवं पिछले एक वर्ष के पापों को क्षमा कर देता है”। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[२] हज्ज एवं उमरह करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “इस्लाम का आधार पाँच चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं तथा मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ स्थापित करना, ज़कात (दान) देना, हज्ज करना एवं रमज़ान का रोज़ा रखना”। बुखारी व मुस्लिम। तथा आप का कथन है: “स्वीकृत हज्ज का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं”। बुखारी व मुस्लिम।

[३] कुर्बानी करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो व्यक्ति क्षमता रखने के बावजूद कुर्बानी न करे वह मेरी ईदगाह के निकट भी न आवे”। इसे इब्ने माजह एवं अहमद ने रिवायत किया है। तथा आप ने फ़रमाया: “जब तुम ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से किसी की इच्छा कुर्बानी करने की हो तो वह अपने बाल एवं नाखून न काटे”। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[४] नेकी के कार्यों में खर्च करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “इन दस दिनों में अल्लाह तआला को सद्कर्म व नेक अमल जितना अधिक प्रिय है उसकी तुलना में उतना किसी अन्य दिनों में नहीं है”, लोगों ने प्रश्न किया: हे अल्लाह के रसूल! अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना भी नहीं? आपने फ़रमाया: “जिहाद करना भी नहीं, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो अपनी जान-माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलता है तथा इनमें से कुछ भी लेकर नहीं लौटता”। इसे कुछ सुनन वालों ने रिवायत किया है।

[५] अल्लाह का ज़िक्र व जाप करना:

जैसे: “अल्लाहु अकबर”, “ला इलाहा इल्लल्लाह”, “अल्हम्दुलिल्लाह” कहना एवं कुरआन का पाठ करना इत्यादि... नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: इन दस दिनों में अधिकाधिक “अल्लाहु अकबर”, “ला इलाहा इल्लल्लाह”, “अल्हम्दुलिल्लाह” कहा करो”। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

आपने फ़रमाया: “सर्वोत्तम दुआ अरफ़ा के दिन की दुआ है, तथा सर्वश्रेष्ठ दुआ जिसे मैं एवं मुझसे पहले के नबियों ने किया है: “ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहदहू ला शरीका लहू, लहुल् मुल्कु, व लहुल् हम्दु, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर”, कहना है।

जिस (पशु) का ज़बह करना मशरूअ (वैध) है:

[१] हृदय (कुर्बानी)

हज्जे तमत्तुअ एवं हज्जे क़िरान करने वाले हाजी पर हृदय अर्थात कुर्बानी करना वाजिब है, इन दोनों के अलावा के लिए हृदय सुन्नत है। हाजी के लिए मशरूअ (उचित) है कि वह अपनी कुर्बानी में से खाए, तथा हरम की सीमा में रहने वाले निर्धनों को बाँटे।

[२] उज़्हय्या (कुर्बानी)

यह प्रत्येक मुसलमान के लिए सुन्नते मुअक्कदह है, तथा क्षमतावान मुसलमान का इसे छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “जो व्यक्ति क्षमता होने के बावजूद कुर्बानी न करे वह मेरी ईदगाह के निकट भी न आवे”। इसे इब्ने माजह एवं अहमद ने रिवायत किया है।

[३] अक़ीक़ा: पिता अथवा जो उसके स्थान पर हो उसके लिए प्रत्येक उस जान की ओर से जिसके अंदर आत्मा फूँक दी गई हो, अक़ीक़ा करना सुन्नत -ए- मुअक्कदह है, तथा यह होगा:

[क] लड़का की ओर से दो बकरी ज़बह करने के द्वारा।

[ख] लड़की की ओर से एक बकरी ज़बह करने के द्वारा।

उज़्हय्यह, कुर्बानी एवं अक़ीक़ा के जानवर लिए शर्त है कि:

[१] बहीमतुल अन्आम में से हो: अर्थात: कुर्बानी का जानवर: ऊँट, गाय एवं बकरी हो।

[२] निर्धारित आयु पार कर चुका हो:

अतः निम्नांकित जानवर की ही कुर्बानी सही होगी:

[क] भेड़ में से ज़अन: अर्थात: ऐसी भेड़ जो छह माह की आयु पूर्ण कर चुकी हो।

[ख] इसके अतिरिक्त पशु में से, सनिय्य: जोकि इस प्रकार हो: ऊँट: पाँच साल का। गाय: दो साल की। बकरी: एक साल की।

[३] ऐसे दोषों से پاک हो जो उसकी कुर्बानी में बाधा बनते हों: चारों सुनन वालों एवं अहमद की रिवायत है कि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: चार प्रकार के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है:

[क] ऐसा काना (एकाक्ष) जिसका काना होना स्पष्ट हो।

[ख] ऐसा रोगी जिसका रोग स्पष्ट हो।

[ग] ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन स्पष्ट हो।

[घ] ऐसा पतला जिसकी हड्डियों में गूदा न हो।

उचित यह है कि यह जानवर सर्वोत्तम हो, सभी गुण से परिपूर्ण एवं हृष्ट-पुष्ट हो, तथा यह जितना उत्तम होगा उतना ही अल्लाह के निकट प्रिय एवं कुर्बानी करने वाले के लिए पुण्य का कारण होगा।

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहत हैं: “हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग हुदैबियह के साल ऊँट को सात लोगों की ओर से तथा गाय को सात लोगों की ओर से कुर्बान किया था”। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

जन्म के सातवें दिन यह करना मशरूअ (उचित) है:

[१] अक़ीक़ा करना:

यदि शनिवार के दिन जन्म हुआ हो तो जुमुआ (शुक्रवार) के दिन अक़ीक़ा किया जायेगा, अर्थात: जन्म वाले दिन से एक दिन पूर्व।

यदि सातवें दिन अक़ीक़ा न कर सके, तो: चौदहवें दिन करे। और यदि चौदहवें दिन भी न कर सके, तो: इक्कीसवें दिन करे।

[२] शिशु का नामकरण करना:

यदि पहले से नाम नहीं रखा गया हो तो सातवें दिन नाम रखे।

[३] सिर मूँडना:

यह केवल बालक के लिए है।

[४] सदक़ा (दान) करना:

बाल के वज़न के बराबर चाँदी सदक़ा करना, तथा यह केवल बालक के लिए है, क्योंकि सिर उसी का गंतव्य जायेगा।